प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 25/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Rahul Ranka Add: B-15, Sangam tower, old rto road, Bhilwara

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 04-03-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329847167386648 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर तहसील गिर्वा में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन आदेश व प्रक्रिया, अनुमोदित लेआउट प्लान व प्रक्रिया मय कार्यालय टिप्पणी के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8363021805 दिनांक 11.02.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/25/25/197–98 दिनांक 11.02.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2025/469 दिनांक 28.02.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय रिकार्ड अनुसार 52 पृष्ठों में उपलब्ध होने से दिनांक 28.01.2025 को शुल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा 104 रुपये ऑनलाईन जमा कराये गये, जिसके पश्चात् उक्त सूचना आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31.01.2025 से प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जानकारी मुझे समय पर उपलब्ध करवा दी गई है। प्रथम अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता हूं। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी से मैं संतुष्ट हू।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी भी प्राप्त सूचना से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं नहीं जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-03-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर